–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 130/2015

उनवान

1. हीरामणी,
2. देवमणी,
3. पुष्पा पुत्रिया राधाकिशन जाति ब्राहमण नि0 रामसर, नसीराबाद

वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रतनी पत्नी रामदेव,
2. गोरधन,
3. सांवरा पि0 रामदेव,
4. कमला पुत्री रामदेव,
5. महावीर, (फौत)
5/1. सजना पत्नी महावीर
5/2. नन्दलाल पुत्र महावीर
5/3. रामप्रसाद पुत्र महावीर
5/4. सन्ता पुत्री महावीर
5/5. अंजली पुत्री महावीर जाति माली निवास ग्राम रामसर, नसीराबाद
6. गोविन्द,
7. गोपाल पि0 काना समस्त जाति माली नि0 ग्राम रामसर, नसीराबाद,
8. मानमल पुत्र छोटू जाति बैरवा,
9. चैना पत्नी रतनलाल, जाति खटीक,
10. भागचन्द पुत्र ताराचन्द जाति महाजन,
11. मधु पुत्री ताराचन्द जाति महाजन नि0 रामसर, नसीराबाद,
12. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 12 जरियें राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्त. अधि. 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 19.07.23

–: निर्णय :–

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर में स्थित वादीगण के पिता श्री राधाकिशन पुत्र मगनलाल की कयशुदा खातेदी अराजी का विवरण निम्न है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	चौसाला ख0न0	रकबा
1917	00–12–10	2029	00–12–10	6412	0.10
1918	00–11–00	2030	00–11–00	6411	0.09
4237	01–13–10	4450	01–13–10	4435	0.27

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

4239	02–01–10	4452	02–01–10	4422	0.03
4240	00–18–10	4453	00–10–10	4422	0.02
				4419	0.13
4244	02–04–10	4457	02–04–10	4398	0.36
4264	00–03–10	4477	00–03–10	4409	0.03
4270	00–06–10	4490	00–06–10	4417	0.05
4303	00–07–00	4509	00–07–00	4255	0.08
4305	00–19–10	4509	00–19–10	4264	0.17
4306	00–01–00	4509	00–01–00		

उपरोक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के दादा ने मुबलिग 15000/ में दिनांक 23.12.1982 को विक्रय कर कब्जा व दखल वादीगण के पिता को सौप दिया था। वादीगण के पिता के फौत होने के बाद वादीगण का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022–25 में विक्रेता बालू पुत्र नाथू के नाम खातेदारी दर्ज थी। उन्होने प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजी वादीगण के पिता को बैचान कर दी थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही होने के कारण विक्रता के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी। तथा बाद में आगे बैचान कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है तथा भरूमि अन्यत्र बैचान हेतु तत्पर है। अतः आराजी मुतनाजा पर पश्चातवर्ती बैचान च नामान्तकरण को शून्य घोषित कर वादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण उनका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 व उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी बैचान नही की गयी है। प्रतिवादीगण के पूर्वज से एक दस्तावेज निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार अक्षरे छः हजार रूपये का भुगतान पंजीयन के समय नही किया गया। तथा कूटरचित तरीके से उक्त बैनामा निष्पादित करा लिया। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य चला आ रहा है। आलू पुत्र नाथू के वारिसान के नाम आराजी मुतनाजा जरिये नामान्तकरण दर्ज हुयी उक्त नामान्तकरण के विरूद्व कोई चाराजोही वादीगण द्वारा नही की गयी है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया।

वाद विचारण के दौरान सभी प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। व प्रतिवादी संख्या 5 के वारिस रेकार्ड पर लिये गये।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता की विधिक कयशुदा है ?

–– वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

–– वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी हीरामणी के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद सिद्ध करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली में उपलब्ध चौसाला जमाबंदी व खसरा गिरदावरी अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 1917, 1918, 4237, 4239, 4240, 4244, 4264, 4270, 4303, 4305, 4306 की आराजी तत्कालीन खातेदार बालू पुत्र नाथू जाति माली के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में भी खसरा नम्बर 2029, 2030, 4477, 4490 व 4509 बालू पुत्र नाथू जाति माली के नाम दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध पंजीबद्द विक्रय पत्र अनुसार तत्कालीन खातेदार बालू पुत्र नाथू ने वादीगण के पिता राधाकिशन पुत्र मगनलाल को दिनांक 6.1.83 को बैचान कर दी। प्रतिवादी संख्या 5 व 7 ने अपने जवाब दावे में उक्त विक्रय पत्र को फर्जी बताया है साथ ही यह भी बताया है कि आराजी मुतनाजा की प्रतिफल राशि अक्षरे छः हजार रूपये बाकी है। प्रतिवादी द्वारा रूपये बाकी होने का कोई प्रमाण पेश नही किया है। साथ ही वादी हीरामणी ने अपनी जिरह में सम्पूर्ण प्रतिफल राशि भुगतान की बात कही है। उक्त विक्रय पत्र पंजीबद्व है जिसक सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण 2015 से हाजा न्यायालय में विचाराधीन है प्रतिवादीगण ने जानकारी होने के बावजूद आदिनांक तक विक्रय पत्र के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। विक्रय दिनांक को आराजी मुतनाजा विक्रेता की खतेदारी में थी। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब व वाद के खडन के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। अतः आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता की विधिक कयशुदा है। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता की कयशुदा है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा केता/वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करनी चाहिये थी। किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी आधार के उक्त आराजी पर केता/वारिस के नाम दर्ज नही की गयी। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 229, 2030, 4477, 449, 4509 को पुनः केता बालू पुत्र नाथू के नाम तथा वंर्किग खसरा नम्बर 4450, 4452, 4457 व 4453 ताराचन्द पुत्र भंवरलाल जैन (प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के पिता) के नाम अंकित कर दी। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 4435, 4420, 4422, 4419, 4398 का बैचान प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को कर दिया तथा हाल खसरा नम्बर 6412, 6411, 4409, 4417, 4255, 4264 को बालू पुत्र नाथू के वारिसान के नाम अंकित कर दिया। वादीगण के पिता द्वारा उक्त आराजी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय की है। बैचान के बाद धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी संख्या 2 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6412/0.10, 6411/0.09, 4435/0.02, 4420/0.31, 4422/0.02, 4419/0.13, 4398/0.36, 4409/0.03, 4417/0.05, 4255/0.08, 4264/0.17 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हीरामणी बनाम रतनी

धारा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 130/2015
पेश करने की दिनांक – 06.11.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6412/0.10, 6411/0.09, 4435/0.02, 4420/ 0.31, 4422/0.02, 4419/0.13, 4398/0.36, 4409/0.03, 4417/0.05, 4255/0.08, 4264/0.17 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 07 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद